मुकेश कुमार बडोनी

बनाम

पंजाब राज्य व अन्य।

(सिविल अपील संख्या 1731/2008)

4 मार्च, 2008

[एस.बी. सिन्हा और वी.एस. सिरपुरकर, जे.जे.]

सेवा कानून:

सेवा समाप्ति - अपीलकर्ता को एक वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया - उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी - आवश्यकता के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी गई - परिवीक्षा अवधि के भीतर अपीलकर्ता की सेवा समाप्ति कर दी गई- उसके द्वारा दायर रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना न्यायोचित था – अभिनिर्धारित किया गया कि- भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 व 226 तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं है।

अपीलकर्ता को एक वर्ष की परिवीक्षा पर गैर-अपीलार्थी संख्या 3 महाविद्यालय में चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति लोक निदेशक, पंजाब, चंडीगढ़ के अनुमोदन के अधीन थी। सक्षम प्राधिकारी ने अपीलकर्ता की नियुक्ति को इस आधार पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि उसके पास आठवीं कक्षा में पंजाबी विषय के रूप में उत्तीर्ण होने की अपेक्षित योग्यता नहीं थी। परिवीक्षा अवधि के भीतर अपीलकर्ता को उसके कर्तव्यों से पदच्यूत कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि गैर-अपीलार्थीगण का यह कहना कि लोक निदेशक ने उनकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, तथ्यात्मक रूप से गलत था और इस मामले को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश को रद्द करना चाहिए।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

निर्धारित किया: 1.1. अब इस न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार कर लिया गया है लोक शिक्षण निदेशक ने स्पष्ट रूप से महाविद्यालय में अपीलकर्ता की नियुक्ति को अपनी मंजूरी देने से इनकार नहीं किया था। इसलिए, ऐसा आधार नहीं लिया जाना चाहिए था। एक शैक्षिक संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष सही तथ्य रखें। बी [पैरा 9] [1021-सी, डी]

1.2. यद्यपि, मामले के रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त नियुक्ति के लिए संस्थान को मंजूरी नहीं मिली थी। अपीलार्थी के वेतन का भुगतान महाविद्यालय द्वारा स्वयं अपने कोष से किया जा रहा था न कि राज्य से प्राप्त अनुदान द्वारा। ऐसा हो सकता है कि गैर-अपीलार्थीगण ने समय-समय पर अलग-अलग आधार लिए हों, लेकिन तथ्य यह है कि अपीलकर्ता की सेवाओं को लोक निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। जब तक सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट मंजूरी नहीं मिल जाती, उन्हें महाविद्यालय में सेवाएं जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। [पैरा 10,13] [1021-डी, ई; 1022-ए, बी]

2.1. अपीलार्थी ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की। अपीलकर्ता के वकील को महाविद्यालय के जवाब के आधार पर, उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि उसकी नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक यह थी कि उसके पास आठवीं कक्षा में पंजाबी विषय होना चाहिए। [पैरा 11] [1021-ई, एफ)

2.2. यद्यपि, अपीलकर्ता ने अपनी रिट याचिका में यह नहीं बताया कि उसके पास उक्त योग्यता है। यहां तक कि विशेष अनुमति याचिका में भी उन्होंने यह नहीं कहा कि उसके पास अपेक्षित योग्यता है. यदि उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है, तो यह न्यायालय तथा उच्च न्यायालय भी उस मामले के लिए रिट जारी नहीं कर सकता, जो निरर्थक प्रकृति की होगी। [पैरा 12] [1021-जी; 1022-ए] जी

3. यह केस ऐसा प्रकरण नहीं है जहां यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके। [पैरा 14] [1022-बी, सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1731/2008।

सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 13836/2003 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के अंतिम आदेश दिनांक 2/9/2003 से।

वी. शेखर, एस. गणेश और वी. शिवसुब्रमण्यम अपीलार्थी की ओर से।

अजय पाल और विनय कुमार गर्ग गैर-अपीलार्थी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता को गैर-अपीलार्थी संख्या 3 द्वारा चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था। जब उसे पता चला कि चौकीदार का पद खाली पड़ा है तो उसने उस पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। गैर-अपीलार्थी संख्या 3 ने 3 अगस्त, 2002 को या उसके आसपास अपने पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी किया था। उनकी नियुक्ति एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर होनी थी और लोक निदेशक, पंजाब, चंडीगढ़ के निदेशक के

अनुमोदन के अधीन थी। हालाँकि, उन्हें 28 जुलाई, 2003 से अपीलार्थी को कर्तव्यों से इस आधार पर मुक्त कर दिया गया कि महाविद्यालय को अब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

3. अपीलार्थी महाविद्यालय के अधिकारियों और लोक निदेशक को कानूनी नोटिस भेजा। गैर-अपीलार्थी संख्या 3 ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता को दिनांक 20 अक्टूबर, 2003 को उक्त नोटिस के जवाब में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा:-

> "3. पैरा संख्या 3 के संदर्भ में आपके पक्षकार को 31.3.2002 को श्री राम बहादुर की सेवानिवृत्ति के बाद 3.8.2002 को चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके लिए वेतनमान 2620 + डीए और सरकारी दर के अनुसार अन्य भत्ते शामिल थे। पैरा नंबर 3 के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी का मामला अनुमोदन के लिए डीपीआई (सी) पंजाब, चंडीगढ़ को भेजा गया था, लेकिन डीपीआई (सी) पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा पत्र संख्या 2314 अनुदान II, दिनांक 28.3.2003 द्वारा इस आधार पर खारिज खारिज कर दिया गया था कि अपीलार्थी ने आठवीं कक्षा को पंजीब विषय के साथ उत्तीर्ण नहीं किया था।
>
> 4. मद संख्या 4 के संदर्भ में यह पहले बताया गया है कि पैरा संख्या 4 में चौकीदार के पद के लिए उनकी मंजूरी डीपीआई (सी), पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा उपरोक्त पत्र संख्या के माध्यम से पंजाबी एक विषय के रूप में पास न होने के कारण अनुमति नहीं दी गई। उनके पद के लिए डीपीआई (सी), पंजाब, चंडीगढ़ से आज तक कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ और महाविद्यालय ने उनके वेतन का भुगतान प्रबंध

समिति के खाते से कर दिया है। इस प्रकार इस स्तर पर उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है।"

4. उक्त पद को भरने के संबंध में एक विज्ञापन भी जारी किया गया था।

5. इसके बाद अपीलकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उक्त रिट याचिका दिनांक 2 सितंबर, 2003 के आक्षेपित निर्णय के आधार पर खारिज कर दी गई है।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अभिभाषक श्री शेखर द्वारा यह तर्क किया कि गैर-अपीलार्थीगण ने समय-समय पर अपने आधारों को परिवर्तित किया है, इसलिए आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से आमन्य है। उन्होंने इस तथ्य पर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि इस न्यायालय के समक्ष लिया गया आधार कि लोक निदेशक ने उनकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, तथ्यात्मक रूप से गलत है और इस मामले को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

7. इस न्यायालय ने यह देखते हुए कि लोक निदेशक ने अपीलकर्ता की नियुक्ति की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, उसके संबंध में एक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया; जिसके अनुसरण में मनिंदर ढिल्लों, उप निदेशक (सी एंड पी) ने एक शपथ पत्र में यह कहा है कि:-

"3. यह मूल पत्र है जो कार्यालय में प्राप्त हुआ था और निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आपत्तियों के साथ मूल रूप से डी.ए.एन. महाविद्यालय ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन, नवा शहर दोआबा को वापस कर दिया गया था।

i) ज्वाइनिंग रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रति।

ii) पंजाबी पास का प्रमाण पत्र

4. महाविद्यालय प्रतिनिधि द्वारा मूल पत्र और उसकी प्राप्ति से इनकार करने का तथ्य फ़ाइल संख्या 8/14-07-अनुदान-11(3) पृष्ठ 22 और 23 के नोटिंग भाग से स्पष्ट है।"

8. 28 मार्च, 2003 के उक्त कथित पत्र के कारण, अपीलकर्ता का आवेदन अन्य दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय को वापस भेज दिया गया ताकि अपीलकर्ता के पास मौजूद प्रमाण पत्र मय ज्वाइनिंग रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रति के साथ उन्हें पुनः भेज जा सके कि अपीलार्थी के पास अपेक्षित योग्यता है।

9. इस न्यायालय के समक्ष यह मान लिया गया है कि लोक निदेशक ने स्पष्ट रूप से महाविद्यालय में अपीलकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी देने से इनकार नहीं किया था। इसलिए, ऐसा आधार नहीं लिया जाना चाहिए था। एक शैक्षिक संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य रखें।

10. यद्यपि, मामले के अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त नियुक्ति के लिए संस्थान को मंजूरी नहीं मिली थी। अपीलकर्ता का वेतन महाविद्यालय द्वारा अपने कोष से दिया जा रहा था, न कि राज्य से प्राप्त अनुदान से। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जिस संस्थान की बात चल रही है वह एक गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है, चौकीदार के पास पंजाबी भाषा के ज्ञान का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

11. अपीलकर्ता ने उत्तर प्रदेश से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। जैसा कि उपर स्पष्ट किया जा चुका है कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को महाविद्यालय के जवाब के आधार पर यह ज्ञान होना चाहिए कि उसकी नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं

में से एक योग्यता यह भी थी कि उसके पास आठवीं कक्षा में एक विषय के रूप में पंजाबी विषय होना चाहिए।

12. यद्यपि, अपीलकर्ता ने अपनी रिट याचिका में यह नहीं बताया कि उसके पास उक्त योग्यता है। यहां तक कि विशेष अनुमति याचिका में भी उन्होंने यह स्पष्ट नहीं दिया कि उनके पास अपेक्षित योग्यता है। यदि उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है, तो यह न्यायालय तथा उच्च न्यायालय भी उसके मामले में कोई रिट जारी नहीं कर सकते, जो कि निरर्थक प्रकृति की होगी।

13. यह हो सकता है कि गैर-अपीलार्थीगण ने समय-समय पर अलग-अलग आधार लिया हो, लेकिन तथ्य यह है कि अपीलार्थी की सेवाओं को लोक निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है. जब तक सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट मंजूरी नहीं मिल जाती, उन्हें महाविद्यालय में सेवाएं जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

14. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि यह उपयुक्त मामला नहीं है जहां यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके। अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

बी.बी.बी. अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी एस. के. पाराशर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।